भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1283
उत्तर देने की तारीख 08 दिसंबर, 2025
17 अग्रहायण, 1947 (शक)

युवा विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना

1283. श्री अनूप संजय धोत्रे :

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युवाओं के लिए कौशल विकास, नेतृत्व और उद्यमिता पर केंद्रित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार का युवा संगठनों और स्वयंसेवकों के साथ किस प्रकार से जुड़ाव है;

(ग) ऐसे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है जो युवाओं के सामने रोजगार में आने वाली चुनौतियों का समाधान करता है;

(घ) ग्रामीण एवं हाशिए पर पड़े युवाओं को विकास पहलों में किस प्रकार शामिल किया जा रहा है; और

(ङ) क्या युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष पहल की गई है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) युवा कार्यक्रम विभाग मेरा युवा भारत (माई भारत) और राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के माध्यम से युवा विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व विकास, कौशल उन्नयन, नागरिक सहभागिता और एक्सपीरिएंशियल लर्निंग का मार्ग प्रशस्त करते है। माई भारत के अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान आयोजित प्रमुख कार्यक्रमों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के दिनों को मनाया जाना, विकसित भारत राजदूत-युवा कनेक्ट, माई भारत-विकसित भारत@2047 घोषणा प्रतियोगिता, राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम - पड़ोस युवा संसद और राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव जिसे विकसित भारत युवा नेता संवाद, विकसित भारत युवा संसद के रूप में पुन: डिज़ाइन किया गया है, शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, माई भारत पोर्टल 18-29 वर्ष की आयु के युवाओं के बीच उद्यमिता और कौशल विकास उत्पन्न करने के लिए पुलिस, डाक सेवाओं, जन औषधि केंद्रों और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों

में एक्सपीरिएंशिल लर्निंग कार्यक्रम (ईएलपी) भी उपलब्ध कराता है। वार्षिक कार्य योजना 2025-26 के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण - सफलता के लिए कौशल का उद्देश्य आत्मसम्मान बढ़ाना और सार्थक रोजगार या स्वरोजगार के लिए उच्च स्तरीय सॉफ्ट स्किल, संचार कौशल और जीवन कौशल अर्जित करने के लिए युवाओं का मार्गदर्शन करना है। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी) जीवन कौशल, नेतृत्व, क्षमता निर्माण, शैक्षणिक कार्यक्रमों और प्लेसमेंट ड्राइव में वार्षिक प्रशिक्षण संचालित करता है।

(ख) सरकार एनएसएस और माई भारत जैसे संरचित मंचों के माध्यम से युवाओं और स्वयंसेवकों को जोड़ती है, जो विभिन्न विकासात्मक, सामाजिक और समुदाय-उन्मुख गतिविधियों के लिए देश भर में युवाओं को संघटित करते हैं। ये मंच विकासात्मक पहलों में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए युवा क्लबों, स्थानीय हितधारकों और स्वयंसेवकों के साथ सहयोग करते हैं।

(ग) सरकार ने रोजगार सृजन और रोजगार क्षमता में सुधार करने के लिए कई राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों को लागू किया है। इनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) शामिल हैं।

स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) द्वारा कारीगर प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) जैसी स्कीमों के माध्यम से स्किल, री-स्किल और अप-स्किल प्रशिक्षण प्राप्त होता है। बजट 2024-25 में घोषित सरकार के प्रधान मंत्री पैकेज में पांच वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार और कौशल के अवसरों की सुविधा के लिए डिज़ाइन की गई पांच स्कीम और पहल शामिल हैं।

राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल जॉब मैचिंग, कैरियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन और कौशल-विकास पाठ्यक्रमों पर जानदारी प्रदान करता है। इसके अलावा, एस्पायर योजना आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेटरों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देती है, जिससे ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और बेरोजगार व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है।

(घ) माई भारत और एनवाईकेएस जिलों, ब्लॉक और गांवों से विविध और लाभवंचित पृष्ठभूमि के युवाओं को जोड़ते हैं। एनएसएस राष्ट्रीय एकता शिविर, गणतंत्र दिवस परेड शिविर, राष्ट्रीय युवा संसद, राष्ट्रीय युवा महोत्सव और गांव गोद लेने के कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण और लाभवंचित युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है जो युवाओं को स्थानीय विकास में योगदान करने के लिए सक्षम बनाता है।

(ड.) युवा कार्यक्रम विभाग एनएसएस, माई भारत और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं के लिए जागरूकता और स्वस्थता को बढ़ावा देता है। ये मंच अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, ब्लॉक और जिला स्तर पर खेल स्पर्धाएं, ध्यान सत्र और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम जैसी गतिविधियों का आयोजन

करते हैं। एनएसएस युवाओं और समुदायों के बीच जागरूकता बढाने और मानसिक स्वस्थता को बढ़ावा देने हेतु आयुष्मान भारत और टेली-मानस हेल्पलाइन जैसी पहलों को भी शामिल करता है। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत के माध्यम से नशीली दवाओं की लत और मादक पदार्थों के सेवन का व्यक्तियों और परिवारों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को पहचाना और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश भर में नशीली दवाओं की लत और मादक पदार्थों के सेवन पर जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किया।

इसके अतिरिक्त, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं का प्रावधान करने और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं को देने के दौरान ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, संवर्धन और पूर्णत: के लिए तथा उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए एक अधिनियम है। तथापि, मानसिक विकारों का पता लगाने के लिए, भारत सरकार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) लागू कर रही है।

इसके अलावा, सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुंच को और बेहतर बनाने के लिए 10 अक्टूबर, 2022 को एक "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" शुरू किया है। सरकार ने एक टेली मानस मोबाइल एप्लिकेशन भी शुरू किया है, जो एक व्यापक मोबाइल प्लेटफॉर्म है जिसे स्वस्थता से लेकर मानसिक विकारों तक मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों हेतु सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी हमारे देश की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति तैयार की है।

*****